रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 46 पार्ट II/2021/ दिनांक :

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
.... राजस्थान

विषय : महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2020–21 में प्रवेश हेतु द्वितीय काउंसलिंग दिनांक 06.05.2021 को आयोजित किए जाने बाबत।
संदर्भ : निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ति कमांक : प्रशि./म.स्वा.कार्य./2020–21/2020/399 – 400 दिनांक 29.07.2020 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित के कम में लेख है कि दिनांक 27.01.2021 को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2020–21 में प्रवेश हेतु आयोजित की गई प्रथम काउंसलिंग में प्रवेश के लिए उपस्थिति हेतु दिनांक 03.02.2021 निर्धारित की गई थी।

अतः लेख है कि आरक्षण की श्रेणीवार आपके यहां प्रथम काउंसलिंग के बाद रिक्त रही सीटों की संख्या के 5 गुणा अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार द्वितीय काउंसलिंग हेतु आमंत्रित करे। जिसके लिए कम से कम 5 दिवस पूर्व रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजवाया जाना सुनिश्चित करे साथ ही अगर अभ्यर्थियों के मोबाईल न0 उपलब्ध हो तो उन्हें एसएमएस के जरिये भी सूचित किया जावे। आरक्षण की श्रेणीवार–श्रेणी की कितनी कितनी सीट रिक्त हो इसके लिए कितने कितने अभ्याथिर्यों को काउंसलिंग हेतु 06.05.2020 को बुलाया गया है। उक्त सूचना दिनांक 30.04.2021 तक फैक्स न. **0141–2222683** व ईमेल आई–डी **jd55training @gmail.com** पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

द्वितीय काउंसलिंग के लिए बुलाये जाने वाले अभ्याथिर्यों को न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत (कट ऑफ मार्क्स) का प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जावें तथा बुलाये गये अभ्यर्थियों की सूची आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा जिला कलेक्टर, संयुक्त निदेशक जोन तथा जिला रोजगार अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराया जाना भी सुनिश्चित करे।

यदि कोई ऐसे अभ्यार्थी उपस्थित होवे जो प्रथम काउंसलिंग में अनुपस्थित रही हो तो उसे भी उसके वरीयतानुसार द्वितीय काउंसलिंग में अवसर दिया जावे। चयन समिति पूर्व की भांति ही रहेगी जिसके लिए जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर उनके प्रतिनिधि का आदेश जारी करवाने का दायित्व संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का होगा। साथ ही निम्न बिन्दुओं की पूर्णतः पालना की जावे :–

1. **कार्मिक (क–2) के पत्र क्रमांक : एफ 7 (1) कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 23.06.2019 के अनुसार जारी अधिसूचना प.2(12)विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार अति पिछडे वर्गो के लिए राज्य की ऐसी शैक्षिक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में जो विहित किये जाये, प्रवेश के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण देय होगा। अति पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी को उसकी श्रेणी का लाभ देय नही होगा।**
   (उक्त अधिसूचना का अवलोकन कार्मिक विभाग की वैबसाईट पर करे।)
2. कार्मिक (क–2) के पत्र क्रमांक : एफ 7 (1) कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 23.06.2019 के अनुसार जारी अधिसूचना क्रमांक : एफ 7 (1) डीओपी/ए–II/2019 दिनांक 19.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को दस प्रतिशत आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ स्केन कर अपलोड करना होगा अन्यथा अभ्यार्थी को उसकी श्रेणी का लाभ देय नही होगा। **(उक्त अधिसूचना का अवलोकन कार्मिक विभाग की वैबसाईट पर करे।)**

3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा की जाने वाली काउंसलिंग का एक ही समय (प्रातः 09:00 से दोपहर 4:00 बजे तक) निर्धारित रहेगा।

4. प्रथम काउंसलिंग में जिस कट ऑफ मार्क्स तक की अभ्यार्थियों को काउंसलिंग हेतु बुलवाया गया है। उससे अधिक कट ऑफ मार्क्स वाले अभ्यर्थी के आ जाने पर उसे काउंसलिंग में शामिल किया जाना है।

   i. किसी वजह से प्रथम काउंसलिंग पश्चात् निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण ज्वाईन नही करने वाली अभ्यर्थियों को द्वितीय काउंसलिंग में शामिल नही किया जाना है।

   ii. प्रथम काउंसलिंग में कतिपय अन्य कारणों यथा शैक्षणिक दस्तावेजों, जाति प्रमाण पत्र आदि के अभाव में जिन अभ्यर्थियों को सम्मिलित नही किया गया, उन्हें द्वितीय काउंसलिंग में उक्त दस्तावेजों की पूर्ति उपरान्त शामिल किया जाना है।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान में कोविड–19 को देखते हुए समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाना उचित होगा कि सोशियल डिस्टेसिंग की पूर्ण रूपेण पालना करते हुए निर्धारित तिथि 06.05.2021 को काउंसलिंग प्रातः 9:00 बजे से मध्यान्ह 4:00 बजे तक ही निर्धारित किया गया है।

अतः समय का ध्यान रखना सुनिश्चित करे साथ ही काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यार्थियों जिनका चयन नही हुआ है उनके दस्तावेज काउंसलिंग समय के (मध्यान्ह 4:00 बजे) पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही की जावे। शेष निर्देश/विवरण संदर्भित पत्र में उल्लेख अनुसार ही रहेगा।

(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 46 पार्ट II/2020/305 दिनांक : 12/4/2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज. जयपुर।
5. संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित कर लेख है कि अपना एक प्रतिनिधी उक्त काउंसलिंग में भिजवाने का श्रम करे।
6. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
7. समस्त प्रभारी, एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
8. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
10. प्रभारी सर्वर कक्ष को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की बेवसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2020–21 में अपलोड करने एवं संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को ई–मेल करने का श्रम करे।
11. रक्षित/आदेश कार्यालय प्रति।

(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर